झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा — द्वितीय सत्र(बजट)

संख्या-17 — गुरूवार, दिनांक-26 मार्च, 2015 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वा० से 2.40 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

क- वर्त्तमान सभी माननीय सदस्यों द्वारा सभा सचिवालय के उपयोगार्थ पासपोर्ट आकार की तस्वीर नहीं दिये जाने की स्थिति में कार्यालय द्वारा की गयी व्यवस्था के तहत मुख्य भवन में फोटो खिंचवाने हेतु आसन द्वारा उनसे आग्रह किया गया।

ख- माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव एवं अन्य द्वारा दिये गये अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया गया। माननीय सदस्य, श्री अरुप चटर्जी ने भी अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में आसन का ध्यान आकृष्ट किया। आसन द्वारा इसे प्रश्नकाल के उपरांत उठाये जाने हेतु उन्हें निदेश दिया गया।

1. प्रश्न कालः-

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्नवत् हुआ-

(क) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-19

(i) उत्तरित कुल-06- क-210-अ०सू०-35,श्री आलमगीर आलम, स० वि० स०,
अ०सू०-ख-71, श्री दीपक बिरूवा, स० वि० स०,
अ०सू०-219, श्री दुलू महतो, स० वि० स०,
अ०सू०-220, श्री राज सिन्हा, स० वि० स०,
अ०सू०-221, श्री प्रकाश राम, स० वि० स०,
अ०सू०-222, श्री प्रदीप यादव, स० वि० स०।

(ii) स्थगित मात्र-01-अ०सू०-223, श्री अरुप चटर्जी, स० वि० स०।

(iii) अनागत कुल-12-अ० सू०-224 से अ० सू०-235 तक।

(ख) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या-49

(i) उत्तरित कुल-03- तारांकित-741, श्री शशिभूषण सामाड, स० वि० स०,
तारांकित-742, श्री बिरंची नारायण, स० वि० स०,

(माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण के उक्त तारांकित प्रश्न के आलोक में बाजार समिति विषयक अखबार में प्रकाशित माननीय विभागीय मंत्री के बयान पर प्रश्नकर्त्ता सदस्य सहित अन्य कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा आपत्ति जतायी गयी। सदन की भावना को देखते हुए माननीय मंत्री द्वारा सदन में खेद प्रकट किया गया।)

तारांकित-743, श्री शशिभूषण सामाड, स० वि० स०।

(ii) स्थगित मात्र-01-तारांकित-क-666-पथ-45, डॉ० जीतू चरण राम, स० वि० स०।

(iii) अनागत कुल-45-तारांकित-744 से तारांकित-788 तक।

कृ॰पृ॰उ॰

2. कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना:-

माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा आसन की अनुमति से अपने द्वारा दिये गये कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को पढ़ी गयी तथा माननीय सदस्य, श्री अरुप चटर्जी द्वारा सूचना नहीं पढ़ी जा सकी। दोनों सूचनाओं के नियमानुकूल नहीं होने के कारण आसन द्वारा इन्हें अमान्य कर दिया गया।

3.शून्यकाल:-

आसन द्वारा पुकारे जाने पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने शून्यकाल की सूचनायें पढ़ीं -

श्री दशरथ गागराई,
श्री जगरनाथ महतो,
श्री नागेन्द्र महतो,
श्री स्टीफन मराण्डी,
डॉ० अनिल मुरमू,
श्री लक्ष्मण टुडू,
श्री राजकुमार यादव,
श्रीमती गंगोत्री कुजूर,
श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी,
श्री निरल पुरती,
श्री बिदेश सिंह,
श्री पौलुस सुरीन,
श्री जानकी प्रसाद यादव,
श्री रबीन्द्रनाथ महतो,
श्री बादल,
श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता,
श्री ईरफान अंसारी,
श्री योगेश्वर महतो,
श्री निर्भय कुमार शाहाबादी,
श्री बिरंची नारायण,
श्री राज सिन्हा,
श्री अरुप चटर्जी,
श्री कमल किशोर भगत,
श्री योगेन्द्र प्रसाद,
श्रीमती निर्मला देवी।

(सम्बन्धित विभाग के माननीय मंत्रियों को शून्यकाल सूचनाओं को गम्भीरतापूर्वक संज्ञान में लिये जाने हेतु आसन द्वारा आग्रह किया गया।)

4.सूचनाओं का दिया जाना:-

i- सिकिदरी हाईडल पावर से सम्बन्धित प्रतिवेदन चलते सत्र में सदन में रखे जाने हेतु माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने आसन से आग्रह किया। आसन द्वारा उक्त प्रतिवेदन 30 मार्च, 2015 को सदन में रखे जाने सम्बन्धी निदेश दिया गया,

ii- गोड्डा जिले में बन्द ममता वाहन को शीघ्र चलाये जाने हेतु माननीय सदस्य, श्री अशोक कुमार द्वारा आग्रह किया गया,

क्र०पृ०उ०

iii- मो० हलीम, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, पश्चिम सिंहभूम की अवैध सम्पत्ति की जाँच हेतु माननीय सदस्य, श्री दीपक बिरूवा ने आसन से आग्रह किया,

iv- माननीय सदस्य, श्री शिवशंकर उरांव ने वोकेशनल ट्रेनिंग सम्बन्धी विषय की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया,

v- माननीय सदस्य, श्री कुणाल षडंगी ने चाकुलिया में ममता वाहन चालकों के हड़ताल को समाप्त करवाये जाने हेतु आग्रह किया,

vi- धनबाद जिला परिषद् में टेंडर में हो रही गड़बड़ी पर रोक लगाये जाने की मांग माननीय सदस्य, श्री अरुप चटर्जी ने की,

vii- अपने विधान सभा क्षेत्र में आठ मवेशियों की हुई मौत के उपरांत इनके मालिकों को मुआवजा दिये जाने हेतु माननीय सदस्य, डॉ० जीतू चरण राम ने आग्रह किया,

viii- अपने विधान सभा क्षेत्र में आर्सेनिक एवं फ्लोराईड युक्त पानी से आमजनों को निजात दिलाये जाने हेतु माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा ने आसन का ध्यान आकृष्ट किया,

ix- माननीय सदस्य, श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाये जाने हेतु आसन का ध्यान आकृष्ट किया,

x- गढ़वा जिले में अनुबंधकर्मियों के लम्बित वेतन भुगतान हेतु माननीय सदस्य, श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी ने आसन से आग्रह किया,

xi- जी.टी. रोड पर अवस्थित गोरहर थाना के प्रभारी द्वारा ट्रकों द्वारा की जा रही अवैध कोयले की ढुलाई को बढ़ावा देने तथा गरीबों को परेशान किये जाने की ओर आसन का ध्यान माननीय सदस्य, श्री जानकी प्रसाद यादव ने आकृष्ट किया,

xii- बानो प्रखण्ड में राशन वितरण में हो रही गड़बड़ी की ओर माननीय सदस्य, श्री पौलुस सुरीन ने आसन का ध्यान आकृष्ट किया,

xiii- चांडिल डैम में अधिक जल जमाव के कारण पुल निर्माण कार्य के बाधित होने की ओर आसन का ध्यान माननीय सदस्य, श्री साधु चरण महतो ने आकृष्ट किया,

xiv- शशिभूषण नामक पदाधिकारी की अवैध सम्पत्ति की जांच हेतु माननीय सदस्य, श्री मनोज कुमार यादव ने आग्रह किया,

xv- हाजियों के पासपोर्ट निर्गत सम्बन्धी प्रक्रिया के दौरान स्थानीय थाना प्रभारी द्वारा गलत व्यवहार किये जाने की ओर आसन का ध्यान माननीय सदस्य, श्री ईरफान अंसारी ने आकृष्ट किया,

xvi- धनबाद में गंदा पानी सप्लाई होने की ओर आसन का ध्यान माननीय सदस्य, श्री राज सिन्हा ने आकृष्ट किया,

xvii- पत्रकार, राजेश गुप्ता के निधन होने से उनके परिवार की दयनीय स्थिति को देखते हुए उनकी विधवा को सहायता राशि प्रदान किये जाने हेतु माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण ने सरकार से आग्रह किया,

xviii- नवसृजित महुआडांड़ अनुमण्डल को पूर्ण सुविधायें प्रदान किये जाने हेतु माननीय सदस्य, श्री हरिकृष्ण सिंह ने आसन से आग्रह किया।

5.ध्यानाकर्षण सूचनायें एवं उसपर सरकार की ओर से वक्तव्य:-

i- श्री योगेन्द्र प्रसाद एवं अन्य स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकार की ओर से वक्तव्य हुआ,

ii- श्री स्टीफन मराण्डी, स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकार की ओर से वक्तव्य हुआ।

(उक्त विषय पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा की अध्यक्षता में एक समिति बनाये जाने हेतु आसन से घोषणा की गयी।)

6.सभा मेज पर कागजात का रखा जाना:-

i- प्रभारी मंत्री, वित्त, श्री सरयू राय द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे वर्ष 2013-14, राज्य का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2013-14, राज्य का लेखा प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2013-14 एवं स्थानीय लेखा परीक्षक, झारखण्ड का प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 एवं स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13, झारखण्ड सरकार, झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय सभा पटल पर उपस्थापति किये जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो, सदन पटल पर रखा गया जो सभा द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

ii- प्रभारी मंत्री, वित्त, श्री सरयू राय द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च,. 2014 को समाप्त हुए वर्ष का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों 2013-14 झारखण्ड सरकार का प्रतिवेदन जिसे विधान सभा के समक्ष रखने हेतु भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, सदन पटल पर रखा गया जो सभा द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

(अन्तराल)

अन्तराल के उपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

7.विधायी कार्य:-

"झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2015"

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सरयू राय द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया। पुरःस्थापनोपरांत माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तदुपरांत खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से प्राप्त सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने तत्पश्चात् माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

"**झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2015**" सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

(चलते सत्र के दौरान जिलों में गठित समितियाँ जिनमें माननीय विधायक सदस्य हों, की बैठकें नहीं किये जाने सम्बन्धी आसन से निदेश दिया गया साथ ही दिनांक-27.03.2015 को 1.00 बजे अप० में गढ़वा जिला में आयोजित बैठक को स्थगित किये जाने का भी निदेश दिया गया।)

इसके उपरांत सभा की कार्यवाही दिनांक- 27 मार्च, 2015 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक- 26 मार्च, 2015 ई०।

सुशील कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।